महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-26/2015/एनजीओ 31/84-2-2015-सीपी 16/2003

प्रेषक,

बी0के0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया, मीरजापुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, हाथरस, मुरादाबाद एवं बरेली।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 01 अक्टूबर, 2015

विषय राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-16/2015/एनजीओ 14/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 08.07.2015 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-18/2015/एनजीओ 18/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 13.08.2015 तथा 23/2015/एनजीओ 24/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 10.09.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मांगी गयी वांछित सूचनायें शासन में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

2. अत: इस संबंध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में विभिन्न जनपदों से प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुए थे। इस संबंध में निम्नलिखित सारणी में आपके जनपद से आप द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वैच्छिक संगठन का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्वैच्छिक संगठन का नाम
1	देवरिया	(1) नूतन विकास संस्थान,पुराना जिला परिषद, देवरिया। (2) जवाहर ग्रामीण विकास संस्थान, सिरजम, गौरी बाजार, देवरिया।
2	मीरजापुर	(1) जय श्री विकास प्रतिष्ठान, 13/10, त्रिपाठी विला, छोटा बघेडा, इलाहाबाद।
3	ललितपुर	(1) श्री हंस शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान, कैलाशपुरी, आलमबाग, लखनऊ। (2) सुयश, 65, सरायपुरा, ललितपुर। (3) नवजागृति सेवा समिति, बानपुर रोड, ग्राम व ब्लाक-बार, ललितपुर।
4	लखीमपुर खीरी	(1) शक्ति बेलफेयर सोसाइटी, मो0 कुम्हारन टोला, निकट गुरूद्वारा गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी। (2) एन्वायरमेंटल स्टडीज एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 151, ईदगाह शहर, लखीमपुर खीरी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	हाथरस	(1) श्रीमती कलावती देवी जन विकास संस्थान, 1001/75, शालीमार गार्डेन विस्तार, सेक्टर-8, इन्दिरा नगर (इस्माइलगंज), लखनऊ।
6	मुरादाबाद	(1) महात्मा ज्योतिबाफूले सेवा संस्थान, ग्राम विचौला, कुंदरकी, मुरादाबाद। (2) रजत ग्रामोद्योग विकास संस्थान,26/एफ-6, रुतपुरा, निकट पान दरीबा, मुरादाबाद।
7	बरेली	(1) मेसर्स कौमी सदभावना समिति,132/1, सिविल लाईन्स, बरेली। (2) मेसर्स रवीन्द्र नाथ टैगोर ग्रामोत्थान एवं शिक्षा प्रसाद संस्थान, दर्जी चौक, बरेली। (3) मेसर्स आसमा सोशल डेवलपमेंट सोसाटी, मकान नम्बर-60, जकाती, बरेली।

3 उक्त स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान दिये जाने की संस्तुति जिला स्तर पर गठित समिति/जिलाधिकारी द्वारा किया गया है परन्तु जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति पूर्व वर्षो की है। अत: सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

(1) उक्त स्वैच्छिक संगठनों के विगत 03 वर्षो की आडिट रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वैच्छिक संगठनों की अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर ली जाय।

(3) उक्त स्वैच्छिक संगठन वर्तमान में उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र में क्रियाशील हैं अथवा नहीं, की भी जानकारी संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से कर ली जाय।

अत: अनुरोध है कि व्यक्तिगत ध्यान देकर उक्त वांछित सूचना/अभिलेख शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

बी0के0 त्रिपाठी

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - उक्त स्वैच्छिक संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत वांछित अभिलेख/सूचनायें अपने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि उक्त निर्धारित अवधि में वांछित सूचना अभिलेख प्राप्त नहीं होता है, तो आपकी संस्था को उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in